निर्णय व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 06/1999 (म्युनिसपल निगरानी)

मैसर्स के.ई.सी. इन्टर नेशनल लिमिटेड जरिये मैनेजर डिवीजनल मैनेजर (एच आर) श्री टी. के. नागपाल

निगरानीकर्ता

बनाम

1. नगर निगम जयपुर जरिये महापौर।
2. आयुक्त, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
3. राजस्व अधिकारी, जयपुर, नगर निगम, जयपुर।

गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 300 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 विरुद्ध आदेश बोर्ड जयपुर नगर निगम दिनांक 09.12.1998 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 11.09.1997 राजस्व अधिकारी एवं आयुक्त जयपुर नगर निगम द्वारा पारित, निरस्त की गई है तथा निरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 18.04.1997 निरस्त किया गया ।

उपस्थित :–

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से ।
2. विभागीय प्रतिनिधि गैर निगरानीकार की ओर से ।

निर्णय दिनांक 18.08.2022

1. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा जयपुर नगर निगम द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.1998 व राजस्व अधिकारी व आयुक्त जयपुर नगर निगम द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.1997 से व्यथित हो कर यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकारान को नोटिस जारी किए गए। तहत रिकार्ड तलब किया गया। गैर निगरानीकारान की ओर से विभागीय पैरोकार उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. निगरानीकर्त्ता के सुयोग्य अधिवक्ता ने निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि निगरानीकर्ता कम्पनी कम्पनी अधिनियम 1913 के अन्तर्गत दिनांक 07.03.1945 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निर्गमित हुई जिसका पंजीकृत कार्यालय 2, रामजी भाई कमानी मार्ग बैलार्ड एस्टेट मुम्बई में स्थित है तथा वर्क्स एवं कार्यालय कुरला एवं जयपुर मे झोटवाड़ा क्षेत्र में स्थित है। यह कम्पनी मूलतया मैसर्स कमानी इंजीनीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से निर्गमित हुई थी, जिसका नाम

जिला कलक्टर
जयपुर

बाद में के ई सी इन्टरनेशल लिमिटेड हो गया तथा अब इसी नाम से यह कम्पनी निर्गमित है। श्री बी के नागपाल निगरानीकर्ता कम्पनी के डिविजनल मैनेजर (एच आर) है तथा अधिकृत व्यक्ति है। जिन्हें यह निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। निगरानीकर्ता कम्पनी का मुख्य व्यवसाय दीगर व्यक्तियों द्वारा दिये ऑर्डर के अनुसार स्टील टावर्स की डिजाईनिंग का है तथा आदेश अनुसार जैसी जैसी आवश्यकता आदेशकर्ता बताते है उसी के अनुरूप निगरानीकर्त्ता कम्पनी द्वारा डिजाईनिंग का कार्य किया जाता है। इस कार्य हेतु कम्पनी द्वारा स्टील ऐंगल्स एवं प्लेट्स/स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया तथा टिस्को से क्रय की जाती है, किन्तु आवश्यकता पड़ने पर जयपुर से बाहर से भी स्टील प्लेटस एवं ऐगिल्स क्रय कर जयपुर में मंगवाये जाते है। स्टील प्लेट्स एवं ऐंगल्स क्रय करने के पश्चात आवश्यकतानुसार नाप व शेप के काटे जाते है तथा उसमें निश्चित बिन्दुओं पर नट बोल्ट हेतु होल्स किये जाते है। तत्पश्चात उन्हें लिक्विड जिंक में इस आशय से भिगोया जाता है अर्थात डिप किया जाता है कि वे जंग रहित व धूल रहित बन जावें। जिससे लम्बे समय तक काम आ सके। उपरोक्तानुसार री शेप्ड तथा कट ऐंगिल्स और प्लेट्स को इरेक्शन साईट्स पर टावर इरेक्शन हेतु कम्पनी द्वारा भिजवा दिया जाता है इसके अलावा कम्पनी द्वारा अन्य कोई कार्य नहीं किया जाता है। निगरानीकर्ता कम्पनी द्वारा अपने व्यवसाय के अन्तर्गत किये जाने वाले उक्त कटिंग का कार्य न तो उत्पादन कार्य माना जा सकता है और ना ही धारा 104 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में पारिभाषित उपभोग उपयोग अथवा विक्रय की परिभाषा में आता है। निगरानीकर्ता कम्पनी द्वारा द्वारा जो भी माल बाहर से मंगवाया जाता है वह केवल स्टील प्लेट्स तथा ऐंगिल्स की कटिंग, पंचिंग एवं गैलवनाईजिंग हेतु ही मंगवाया जाता है। अन्य कोई कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लाया जाता। इस प्रकार धारा 104(2) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में प्रावधित प्रावधान के अनुसार ऐसे आयातित माल स्टील फलेट्स एवं ऐंगिल्स पर चूंगी देय नहीं होती है। निगरानीकर्ता कम्पनी ने स्टील प्लेट्स एवं ऐंगिल्स जरिये दो ट्रक संख्या डीएल 1जी 3782 तथा डीएल 1 जी 7382 एस आर नम्बर 7305 व 7306 तारीख 11.08.1994 गाजियाबाद से जयपुर मंगवाया। चूंगी नियम 5 व 8 सपठित धारा 131 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार उक्त ट्रकों के ड्राईवर ने चुंगी चौकी पर समस्त आवश्यक प्रलेख लारी रिसिप्ट, सैल्स टैक्स फार्म, एक्साईज गेट पास एवं चालान जयपुर चुंगी के नाका के इन्चार्ज के समक्ष प्रस्तुत किये, जिनका अवलोकन करने के पश्चात नाका इन्चार्ज ने फार्म नम्बर 2 में बिल तथा रसीद 120/–रूपये मैट्रिक टन की दर से चुंगी देय होना मान कर ट्रक ड्राईवर को चूंगी नियम 10(2) (ए) में प्रावधित प्रावधान के अनुसार डिमाण्ड जारी कर चुंगी की राशि वसूल कर ली । तत्पश्चात दिनांक 13.08.1994 को निगरानीकर्ता कम्पनी के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी हुई कि दिनांक 12.08.1994 को चुंगी की राशि 1257/–रूपये वसूल किये जाने के बावजूद चुंगी अधिकारियों द्वारा उक्त दोनों ट्रक सीज कर लिये जो कि धारा 137 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 में प्रावधित प्रावधानों का सर्वथा अतिक्रमण है तथा सीज किये जाने की कार्यवाही सर्वथा अवैध एवं

जिला कलक्टर
जयपुर

विधि विरूद्ध होने से शून्य है। वास्तव में उक्त दोनों ट्रकों से आया सामान पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि॰ को ग्राम मनोहरपुरा व जाटावास जो कि जयपुर नगर निगम की सीमाओं से बाहर है, में टिंग के बाद डिलीवर किया जाना था तथा उक्त ट्रकों का माल जयपुर में ऑक्ट्राय नियमों के नियम 9(1)( ) में प्रावधित प्रावधानों के अन्तर्गत अस्थाई डिटेन्शन हेतु निगरानीकर्ता कम्पनी के जयपुर कार्यालय द्वारा आयातित किया गया था तथा उक्त माल का कटिंग व गैलवेनाईलिंग किया जाना निर्माण की तारीफ में नहीं आता है और न ही उक्त माल नगरीय सीमा में उपभोग उपयोग अथवा विक्रय हेतु ही मंगाया गया था। इस सम्बन्ध में सही वस्तु स्थिति निगरानीकर्ता कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 13.08.1994 के द्वारा जयपुर नगर निगम को बतला दी थी तथा दिनांक 17.08.1994 को जयपुर नगर निगम के प्रशासक को भी बतला दी गई थी। नगर निगम के अधिकारियों ने अतिरिक्त चुंगी वसूली हेतु कोई डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि निगरानीकर्ता कम्पनी के कर्मचारीगण को धौंस दे कर व उन पर दबाव डाल कर 500/–रूपये प्रति मैट्रिक टन की दर से चुंगी देय होना बतलाते हुये अधिकतम पैनेल्टी शुल्क 50 प्रतिशत अर्थात देय चुंगी की पांच गुणा राशि चुंगी चौरी होना बता कर समझोता शुल्क के रूप में निगरानीकर्ता कम्पनी से अनाधिकृत रूप से बेजा तौर पर वसूल कर ली, जिसका जयपुर नगर निगम को कोई अधिकार नहीं था। निगरानीकर्ता कम्पनी ने अपने पत्र दिनांक 02.08.1994, 13.08.1994, 16.08.1994, 17.08.1994, 18.08.1994, 19.8.1994, 20.08.1994 तथा 24.08.1994 के द्वारा उपरोक्त अनाधिकृत रूप से वसूल की गई राशि कम्पनी को लौटाने का निवेदन किया, किन्तु जयपुर नगर निगम के द्वारा उक्त राशि नहीं लौटाई गई । मजबूर होकर निगरानीकर्ता को एकल पीठ सिविल याचिका संख्या 5372/1994 अन्तर्गत अनुच्छेद 225 भारतीय संविधान प्रस्तुत करनी पडी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जयपुर बेंच द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.12.1996 में अंकित सम्प्रेषण की कम्पनी अपना प्रतिवेदन जयपुर नगर निगम के समक्ष पेश करे तथा उक्त निर्णय उसके विरूद्ध किये जाने पर निगरानीकर्ता कम्पनी राजस्थान आवट्राय रूल्स 1962 में प्रावधित प्रावधानों के तहत निगरानी बोर्ड के समक्ष पेश करे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुसार निगरानीकर्ता कम्पनी ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन जयपुर निगम के समक्ष दिनांक 18.04.1997 को प्रस्तुत किया, किन्तु जयपुर नगर निगम द्वारा काफी लम्बें अर्से तक उसके प्रतिवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इस पर मजबूर होकर निगरानीकर्ता को अपने वकील के द्वारा दिनांक 23.07.1997 को रजिस्टर्ड नोटिस दिलवाना पड़ा। तत्पश्चात जयपुर नगर निगम के राजस्व अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 11.09.1997 को पारित करते हुये निगरानीकर्ता का प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिया गया। इस आधार पर कि उसके द्वारा विषयान्तर्गत मामले में टावर पार्टस आयातित किये गये थे। ना की केवल माईल्ड स्टील, अतः समझोता शुल्क नियामानुसार लिया गया। तथा निगरानीकर्ता कम्पनी का यह तर्क कि उनसे चुंगी यदि लेनी बनती है तो प्रविष्टी संख्या 101 के अन्तर्गत ली जानी चाहिये थी न कि प्रविष्ट संख्या 125 के अन्तर्गत, अस्वीकृत कर दिया । निगरानीकर्ता कम्पनी ने उक्त आदेश

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 11.09.1997 से व्यथित हो कर कोई जयपुर नगर निगम के समक्ष निगरानी अन्तर्गत नियम 40 राजस्थान नगरपालिका आक्ट्राय नियम 1962 प्रस्तुत की, जिसे निगरानीधीन आदेश दिनांक 09.12.1998 के द्वारा खारिज कर दिया। विषयान्तर्गत ट्रकों से किया गया आयातित माल स्टील प्लेट्स एवं एंगिल्स निगरानीकर्ता कम्पनी द्वारा केवल कम्पनी के वर्कस आफिस जयपुर में कटिंग, पंचिंग व गेलवनाईजिंग हेतु आयात किया गया था तथा जयपुर में केवल अस्थाई डिटेन्शन हेतु मंगवाया गया था तथा यह समस्त कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका एक्ट 1959 के प्रावधित प्रावधान धारा 104 (2) के अन्तर्गत परिभाषित कार्य कन्जम्शन, यूज एण्ड सेल हेतु आयातित नहीं किया गया था। अतः उन पर अस्थाई रूप से चुंगी केवल 120 रुपये मैट्रिक टन की दर से देय थी। जो जयपुर नगर निगम के चुंगी नाका इन्चार्ज द्वारा नियमानुसार ट्रकों के ड्राईवर से वसूल कर ली गई थी तथा बिल रसीद जारी कर दिये थे। तदुपरान्त नगर निगम के अधिकारियों को न तो उक्त ट्रकों को सील करने का अधिकार प्राप्त था और ना ही निगरानीकर्ता कम्पनी से कोई समझोता शुल्क वसूल करने का अधिकार प्राप्त था। ऐसा करने में नगर निगम के अधिकारीगण ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 137 का उल्लंघन किया है अतः अनाधिकृत रूप से वसूल की गई राशि निगरानीकर्ता कम्पनी को लटाये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एस ओ 218 दिनांक 26.11.1991 जो कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 104(2) के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ वसूल करने हेतु जारी की गई कि प्रविष्टि संख्या 101 में उल्लेखित धातु व धातु से बने सामान, जिसने कास्ट आयरन से बने सामान जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है व अन्य वस्तुओं पर 12/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से चूंगी देय होना बतलाया गया है। विषयान्तर्गत माल पर पूर्ण रूप से लागू होता है तथा इसी प्रविष्टी में प्रावधित दर के अनुसार नाका इन्चार्ज द्वारा उचित रूप ये चुंगी 1257/- रुपये वसूल की गई है। अत नगर निगम के अधिकारीगण को निगरानीकर्ता कम्पनी से कोई समझोता शुल्क की राशि वसूल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय विपक्षीगण ने इस तथ्य की भारी भूल की है कि प्रश्नागत आयातित माल जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विक्रय उपभोग व उपयोग के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना था और न ही प्रयुक्त किया गया। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 104 (2) के अन्तर्गत विपक्षी निगम को निगरानीकर्ता से चुंगी वसूल करने का अधिकार नही है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रम 50218 दिनांक 20.11.1991 के मुताबिक चुंगी टैरिफ प्रविष्टी संख्या 125 (अ) में प्रावधित प्रावधान के अनुसार चूंगी राशि केवल उसी आयातित माल पर लागू होती है जो कि रिलेटिंग टू जनरेशन एण्ड कन्जम्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एवं इंसुलेटैड वोल्ट एवं ट्रान्सफार्मर आयल के लिए ही लागू की जा सकती है न कि निगरानीकर्ता द्वारा किये जाने वाले कटिंग के काम हेतु। जयपुर नगर निगम के संबंधित चुंगी नाका इन्चार्ज द्वारा प्रश्नागत माल पर चुंगी की वसूली चुंगी टैरिफ संख्या 101 के अन्तर्गत की थी। यदि इस संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता तो संबंधित चुंगी नाका इन्चार्ज द्वारा चुंगी आफिस में नियमानुसार रिपोर्ट भेजी जाती,

जिला कलक्टर

जो कि नहीं भेजी गई है और न ही चुंगी कार्यालय द्वारा निगरानीकर्ता कम्पनी को कोई पत्र अथवा प्रश्नागत माल के संबंध में चुंगी रसीद जारी हो जाने के पश्चात प्रश्नागत दोनो ट्रकों को सीज कर चुंगी टैरिफ की प्रविष्टि संख्या 125 (अ) के अन्तर्गत प्रश्नागत माल को कवर होना मान कर अन्तर की चुंगी राशि एवं पांच गुना समझौता राशि अवैद्य रूप से जबरन वसूल की गई है। जो किस भी रूप से न्याय संगत नहीं है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 18.04.1997 स्वीकार किया जाकर, कर बोर्ड व जयपुर नगर निगम द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.1998 व राजस्व अधिकारी व आयुक्त जयपुर नगर निगम द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.1997 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावें। नगर निगम द्वारा निगरानीकर्ता से जबरन वसूल की गई समझोता शुल्क की राशि 47,928/–रूपये व 120/–रूपये प्रति मैट्रिक टन की दर से वसूल की गई चुंगी राशि 2,524/–रूपये निगरानीकर्ता कम्पनी को वापस लौटाई जाने का आदेश फरमावे।

5. गैर निगरानीकार की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उन्होंने उक्त मामले में दो गाडियों के माध्यम से टावर पार्टस आयातित किये गये थे, न की केवल माईल स्टील और इस तथ्य को भी स्वीकार है किया कि चुंगी अधिकारियों ने जब उनके आयातित माल को गलत बयानी के आधार पर पकडा तो उन्होंने समझौता प्रस्ताव अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.1994 के द्वारा प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर उनसे चूंगी वसूली की अन्तर की राशि तथा पांच गुना समझौता शुल्क लिया गया। निगरानीकर्ता का यह कहना की उनसे चुंगी टैरिफ की प्रविष्टी 101 के अन्दर की जानी चाहिये थी न की 125 (अ) के तहत इसके लिए निगरानीकर्ता का यह कथन ही काफी है कि उक्त दोनों वाहनों से टावर पार्टस आयातित किये गये थे न कि केवल माईल्ड स्टील ऐंगिल्स जिससे टावर बनाये जाते है। इस प्रकार इस प्रकरण मे प्रविष्टी संख्या 125 (अ) लागू होता है। नगर निगम द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश उचित है। अतः निगरानी खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. निगरानीकर्ता कम्पनी का कथन है कि कम्पनी द्वारा जो भी माल बाहर से मंगाया जाता है वह केवल स्टील प्लेट तथा ऐंगिल्स की कटिंग, पंचिंग व गेलवेनाईजिंग हेतु ही मंगाया जाता है, अन्य कोई कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लिया जाता है। इसलिए धारा 104 (2) राजस्थान नगरपालिका अधिनयम 1959 के प्रावधानानुसार ऐसे आयातित माल स्टील प्लेट्स एवं ऐंगिल्स पर चुंगी देय नहीं होती है। जबकि निगरानीकर्ता कम्पनी ने अपने कथनों की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया है। निगरानीकर्ता कम्पनी के अधिकारियों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों के सक्षम यह स्वीकार किया गया है कि दोनों गाडियों में टावर पार्टस आयात किये गये है न कि माईल स्टील। इसलिए प्रविष्टी 125 (अ) के प्रावधान लागू किये गये है। गलत बयानी के आधार पर आयातित माल के पकडा जाने पर निगरानीकर्ता कम्पनी द्वारा नगर निगम के समक्ष

जिला कलक्टर
जयपुर

दिनांक 17.08.1994 को समझौता प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । इसलिये निगरानीकर्ता कम्पनी का यह कथन मान्य नहीं है कि पकड़ा गया माल चुंगी से मुक्त था और उनके द्वारा द्वारा किसी प्रकार का समझौता प्रस्ताव पेश नहीं किया। सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने के पश्चात नगर निगम द्वारा की गई कार्यवाही में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप निगरानी खारिज की जाती है ।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत, नगर निगम जयपुर ग्रेटर को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक 18.08.2022 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर